भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 203

दिनांक 02.02.2021/13 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

ऑनलाइन धोखाधड़ी

†203. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

श्री कृपाल बालाजी तुमानेः

श्री एस. ज्ञानतिरावियमः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी के संबंध में संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट किये गये ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इनमें से निपटाये गये मामलों की संख्या तथा धोखाधड़ी में लिप्त पकड़े गये अपराधियों की संख्या क्या है;

(ग) सरकार द्वारा नागरिकों के लिए धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं;

(घ) क्या सरकार इन ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के विषेशज्ञों की सेवाएं लेने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में ऐसे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं;

(च) क्या चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने से भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करके करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सकेगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): साइबर स्पेस के उपयोग में वृद्धि होने के कारण, ऑनलाइन धोखाधड़ियों सहित साइबर अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा रखे गए नवीनतम प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017, 2018 और 2019 में ऑनलाइन धोखाधड़ियों के क्रमश: 3466, 3353 और 6233 मामले दर्ज किए गए थे। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) द्वारा ऐसे मामलों में वर्ष 2017, 2018 और 2019 में क्रमशः 1971, 1778 और 2542 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

लो.स./अ.ता./ प्र.सं.203

(ग) से (ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं तथा साइबर अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जांच करने और उनके अभियोजन के लिए प्राथमिक तौर पर राज्य जिम्मेदार हैं। विधि प्रवर्तन एजेंसियां, साइबर धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्रवाई करती हैं।

विधि प्रवर्तन एजेंसियां, ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों का निपटान करने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों/पेशेवर लोगों की सहायता लेती हैं। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों पर कार्रवाई करने और उनका निपटान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करके तथा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों/पेशेवर लोगों सहित मानव संसाधन को हायर/भर्ती करके अपनी-अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों का क्षमता संवर्धन करने के प्रति जिम्मेवार हैं।

साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने के लिए तंत्र को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से, केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने; चेतावनियां/एडवाइजरी जारी करने; विधि प्रवर्तन कार्मिकों/अभियोजकों/न्यायिक अधिकारियों का क्षमता संवर्धन/प्रशिक्षण करने और साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं में सुधार करने आदि के लिए कदम उठाए है। केंद्र सरकार ने महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए नागरिकों को सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए "राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल," www.cybercrime.gov.in भी शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल पेमेंट के ट्रांजेक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा एवं जोखिम न्यूनीकरण के उपायों से संबंधित विभिन्न परिपत्र/दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(च) और (छ): राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से इलेक्ट्रॉनिकी और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क के प्रावधानों के अंतर्गत जून, 2020 से अब तक 266 मोबाइल एप ब्लॉक किए हैं। भारत में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा इन एप का प्रयोग करने से आंकड़ों का भारी मात्रा में संग्रह होता है, जिनका मिलान, विश्लेषण, रेखाचित्रण और भण्डारण उन तत्वों द्वारा किया गया हो सकता है, जो आम लोगों के हित के विरोधी होने के अलावा, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था आदि के शत्रु हैं।

******